

॥ अल्पकालीन निविदा सूचना ॥

सरस मेला—2020 के आयोजन हेतु मेला क्षेत्र में किड्सजोन में विभिन्न प्रकार के झूलों तमाशों व सर्कस की व्यवस्था हेतु इच्छुक निविदादाताओं से पृथक—पृथक सील बन्द निविदायें दिनांक 17.02.2020 के अपराह्न 02:00 बजे मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे निविदा रामिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13.02.2020 से 17.02.2020 तक पूर्वाह्न 11:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल से क्रय किए जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र का मूल्य रु0 2500.00 + जी0एस0टी0 अदा कर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र में अन्य शर्तें उल्लिखित हैं। निविदा से संबंधित अन्य कोई भी जानकारी उपरोक्त कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा की विस्तृत शर्तें एवं निविदा प्रपत्र जनपद पौड़ी की वेबसाईट pauri.nic.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

दिनांक : 12.02.2020

(हिमाशु खुराना)
मुख्य विकास अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

।। कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ।।

Email: cdopauri@gmail.com

Phone No.01368-222920

पत्रांक 1046 / सरस मेला—2020 / 2019–20

पौड़ी, दिनांक 12 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि: 1. जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को किन्ही दो सर्वाधिक प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में शासकीय दरों पर कम से कम भाग में प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।

2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद—पौड़ी गढ़वाल।
3. अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०/सिंचाई विभाग/जल निगम/जल संस्थान/नगर पालिका परिषद, पौड़ी/श्रीनगर(गढ़वाल)।
4. उप जिलाधिकारी (वारहस्यू), पौड़ी।
5. जिला विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6. जिलाधिकारी, गढ़वाल।
7. कार्यालय नोटिस बोर्ड।
8. एन.आई.सी. पौड़ी को वैबसाइट में प्रदर्शित हेतु।
9. कार्यालय प्रति।

(हिमाशु खुराना)
मुख्य विकास अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

निविदा के लिए आवश्यक निर्देश व शर्तें :-

1. किड्सजॉन में झूले एवं खेल तमाशे हेतु निर्धारित स्थान 30 मीटर x 50 मीटर है।
2. निविदा द्वि-विड प्रणाली के अधीन आमत्रित की जाती है। प्रथम तकनीकी निविदा, द्वितीय वित्तीय निविदा।
3. तकनीकी निविदा के साथ आवश्यक वांचित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी।
4. निविदा में किए जाने समस्त वाले कार्य हेतु समग्र धनराशि अंकित की जायेगी जो अंकों व शब्दों में होगी।
5. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा को पृथक-पृथक शील बन्द लिफाफे में रख कर उनमें तकनीकी व वित्तीय निविदा लिखा जायेगा तथा दोनों शील बन्द लिफाफों को बड़े लिफाफे में शील बन्द कर रख कर उस पर 'सरस मेला-2020 के आयोजन हेतु मेला क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के झूलों, तमाशों एवं सर्कस की व्यवस्था हेतु निविदा' अंकित किया जायेगा।
6. निविदा के साथ ₹0 1,00000/- (एक लाख रुपये) की धरोहर राशि बैंक ड्रापट के रूप में संलग्न करनी अनिवार्य होगी, जो सरस मेला-2020 मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पक्ष में देय होगी।
7. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर शेष की धरोहर राशि एक सप्ताह के अन्तर्गत वापस कर दी जायेगी।
8. सफल निविदादाता द्वारा कार्यपूर्ति धरोहर धनराशि के रूप में ₹0 3,00000/- (तीन लाख रुपये) की धनराशि जमानत के रूप में प्रस्तुत की जायेगी, जो मेला अवधि समाप्त होने के उपरान्त अपेक्षित कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार वापस की जायेगी।
9. सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में लगने वाले झूलों के निर्माण उच्च गुणवत्ता एवं सुरक्षा के मानकों के अनुरूप किया जायेगा। सुरक्षा के लिए जो भी मानक इस हेतु निर्धारित हैं उना प्रमाण-पत्र निर्धारित ऑथरिटी से प्राप्त करना होगा।
10. झूलों के संचालन हेतु आवश्यक विद्युत व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी।
11. झूलों की विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से होनी आवश्यक है। अर्थात् कोई भी विजली का तार खुले व खतरनाक रूप से लगा नहीं होना चाहिए।
12. सर्कस के संचालन में भी सुरक्षा के मानकों का भी पूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक होगा।
13. सफल निविदादाता को उक्त कार्यों हेतु 1. सहायक विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन, सिविल लाईन प्रकाश प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रुड़की 2. अग्निशमन अधिकारी, पौड़ी संस्थाओं से अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. झूलों/सर्कस/खेल-तमाशे के किराये की दर उचित(Reasonable) होनी चाहिए।
15. फर्म के लिखित अनुरोध पर उसके द्वारा पूर्व में दी गई निविदा धरोहर राशि को कार्यपूर्ति धनराशि में समाहित किया जा सकता है।
16. सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत होने पर नियत तिथि व समय पर वांचित कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही-शिथिलता या गुणवत्ता में कमी होने पर फर्म की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म को काली सूची (Black List) में डालते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
17. सफल निविदादाता को रुपये 100/- (एक सौ) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना आवश्यक होगा।
18. सफल निविदा का निर्धारण निविदादाता द्वारा दी गयी उच्चतम दर (H-1) आधार पर किया जायेगा।
19. नियत तिथि व समय पर निविदा समिति द्वारा निविदाओं को खोला जायेगा। निविदादाता या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकता है। निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी निविदादाता के पृथक से रखे गये पक्ष को स्वीकार करने या न करने का अधिकार मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल में सर्वथा सुरक्षित रहेगा।
20. सफल निविदादाता द्वारा मानचित्र के अनुसार चिन्हित क्षेत्र में झूलों/खेल-तमाशे स्थापित किए जायेंगे।

21. सफल निविदादाता द्वारा झूलों/सर्कस/खेल-तमाशे आदि की निर्धारित दरों की सूची मेले में सार्वजनिक स्थान पर चर्चा की जायेगी और निर्धारित दर से अधिक की धनराशि वसूल नहीं की जायेगी।
22. निविदादाता फर्म को उत्तराखण्ड राज्य में जी०ए०टी० पंजीकरण होना अनिवार्य है। पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करने आवश्यक होगी। यदि निविदादाता का उत्तराखण्ड में करने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
23. सफल निविदादाता को कुल धनराशि+जी०ए०टी० में से ५० प्रतिशत धनराशि दिनांक १५.०२.२०२० तक, उसके उपरान्त २५ प्रतिशत धनराशि दिनांक २२.०२.२०२० तक एवं शेष २५ प्रतिशत धनराशि दिनांक २८.०२.२०२० तक तो जमानत राशि जब्त कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
24. मेला अवधि में सुरक्षा मानकों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर समस्त उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा।
25. निविदादाता को उक्त कार्य हेतु किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट (Black List) न करने सम्बन्धी शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
26. सफल निविदादाता झूला, सर्कस, खेल-तमाशे स्थल पर तैनात कर्मियों का सत्यापन पुलिस से कराकर सम्बन्धित कर्मियों का पूर्ण विवरण अंकित करते हुए फोटोग्राफ्स सहित सूची मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल एवं पुलिस को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तथा तैनात कर्मियों को परिचय पत्र धारण करना आवश्यक होगा।
27. सफल निविदादाता को झूला, सर्कस, खेल-तमाशे के सफल संचालन एवं अनुभव के सम्बन्ध में विगत ०३ वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रत्येक वर्ष में किए गये कार्य से सम्बन्धित अनुमति पत्र/कार्यादेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
28. सफल निविदादाता को फर्म का आई०ए०ओ० प्रमाण पत्र कार्यादेश जारी करने से पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
29. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
30. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र पौड़ी, जिला-पौड़ी गढ़वाल होगा।
31. निविदा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल में सुरक्षित होगा।


 (हिमाशु खुराना)
 मुख्य विकास अधिकारी,
 पौड़ी गढ़वाल।

सरस मेला-2020 हेतु किड्सजॉन में झूले एवं खेल तमाशे हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र ।

1. फर्म/संस्था का नाम —
2. पता —
3. जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या —
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
4. फर्म आदि का स्थाई लेखा संख्या(पेन नम्बर) —
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
5. झूला/सरकस/खेल-तमाशे के सफल संचालन एवं अनुभव के सम्बन्ध में विगत 03 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में किए गये कार्य से सम्बन्धित अनुमति पत्र/कार्यादेश की प्रतिलिपि ।
6. किसी भी राज्य में ब्लैक लिस्टेड/फर्म के विरुद्ध कोई शासकीय कार्यवाही आदि से सम्बन्धित अपेक्षित शपथ पत्र संलग्न करें।
7. धरोहर की जगा राशि का विवरण ।
(अपेक्षित रीति से संलग्न करें)
8. हैसियत पत्रों का विवरण — विगत 03 वर्षों का आयकर रिट्टन और सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट ।
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)



वित्तीय निविदा

घोषणा

हमारे द्वारा उपरोक्त तकनीकी एवं वित्तीय भावपत्र(Technical & Financial Bid) में वर्णित समस्त कार्य वं मापदण्ड का भलीभांति अध्ययन कर समझ लिया है तथा उपरोक्त कार्य करने हेतु हमारी फर्म अंकन रु0(शब्दों में) की धनराशि में कार्य करने पर सहमत हैं।

हमारी फर्म/संस्था द्वारा उपरोक्त कार्य किए जाने हेतु निविदा की समस्त नियम एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

हमारी फर्म/संस्था द्वारा उपरोक्त समस्त कार्य करने हेतु अंकित दर में समस्त कर यथा जीएसटी आदि समिलित है।

फर्म/संस्था का नाम
हस्ताक्षर एवं मुहर
मालिक/प्रतिनिधि का नाम